

भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।”

[फा.सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 2948 दिनांक 03 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात अधिसूचना सं. का.आ. 1315(ई) दिनांक 08 जून, 2012 द्वारा इसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6332(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Animal Casing (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Animal Casing (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Animal Casing (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, for rule 7(1), the following rule shall be substituted, namely : -

“7 (1) A fee of five thousand rupees shall be paid by the establishment along with the application for approval or renewal of the establishment in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 5 and a monitoring fee at the rate of 0.20 percent of free on board value and tax(s), as applicable, shall be paid or an amount of two thousand rupees whichever is higher by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs. 25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note.—The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.”

[F. No.16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note. - The Principal Rules were published in Gazette of India, Extraordinary, vide Notification S.O. 2948 dated the 3rd November, 1997, subsequently amended vide Notification S.O. 1315(E) dated the 8th June, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6333(अ)—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (कालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काली मिर्च के निर्यात (कालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काली मिर्च के निर्यात (कालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काली मिर्च के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1991 के नियम 10.1, के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(10.1) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त निः शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की दर से, प्रति माल न्यूनतम 50 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा।”

[फा.सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 1311 दिनांक 22 अप्रैल, 1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6333(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Black Pepper (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1991, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Black Pepper (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Black Pepper (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1991, for rule 10.1, the following rule shall be substituted, namely: -

“10.1. Subject to a minimum of Rs. 50 for each consignment, a fee at the rate of 0.4 percent and 0.2 percent of free on board value of the consignment shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.”

[F. No.16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 1311 dated the 22nd April, 1991

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6334 (अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 के उप-नियम 6(ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“6(ख) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त निः शुल्क मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा।”